# प्रथम सूचना रिपोर्ट

**{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}**

1. जिला–भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, सिरोही, थाना:–एसीबी सीपीएस जयपुर, वर्ष 2023 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 18/2023 दिनांक 12/5/2023

2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा 7
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें:– .....–.....
   (3) अधिनियम .....–..... धारायें :–.....–.....
   (4) अन्य अधिनियम व धारायें :– .....–.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 253 समय 5:40 PM
   (ब) अपराध के घटने का दिन :–**गुरूवार, दिनांक 11.05.2023, समय 04:52 पी.एम.,**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– **03.05.2022 समय 02:00 पी.एम.,**

4. सूचना की किस्म :– **हस्तलिखित,**

5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:–**चौकी से बदिश पूर्व बफासला करीब 01 कि.मी. दूर।**
   (ब) पता :– **पुलिस थाना कोतवाली सिरोही,**
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :– नहीं

6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता :–
   1. **श्री ईश्वर प्रसाद** पुत्र स्व. श्री गणपतलाल जाति खण्डेलवाल, उम्र 61 वर्ष, निवासी सोजती गेट के अन्दर बाटा शू कम्पनी के सामने वाली गली, डॉक्टर मजिद के अस्पताल के सामने, कविराज वाडा जोधपुर, हाल निवास 203 गोपीनाथ स्मृति, उत्तम रोड़, भाईन्दर पुलिस स्टेशन के पास, राधा गोविन्द पार्क, ठाणे, भाईन्दर वेस्ट (महाराष्ट्र) 401101, मोबाईल नं. 9820963189।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
   1. **श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री शंकरलाल, उम्र 54 वर्ष, जाति नायक (राणा), निवासी– मकान नम्बर 58, आनन्द नगर, पाली, हाल उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली सिरोही, जिला सिरोही, मोबाईल नंबर 9667884227।**

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य ट्रेप राशि 2000/–रू0,

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो).....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट .....

From Ishwar prasad G. Khandelwal
In side Sojati gate,
Jodhpur (Raj) 342001
M- 9820963189

सेवामें,

माननिय अतिरिक्त पूलिस अधिक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सिरोही (राज) 307001
दिनांक 03.05.2023

विषय– रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाने बाबत्।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निवेदन हैं कि–

मैं उपरोक्त व्यक्ति उपरोक्त पते पर अपने परिवार के साथ निवास करता हूं। हमारा परिवार खण्डेलवाल (वैश्य) नवपरगना समाज से ताल्लुक रखता हैं। दिनांक 25 व 26 फरवरी को हमारे समाज के अध्यक्ष भगवती प्रसाद द्वारा हमारे समाज के मुख्यालय खण्डेलवाल छात्रावास सिरोही में करीब 150 से अधिक खाप पंचायत के लोगो के साथ मीलकर हमारा सामाजीक बहिष्कार कर दिया था क्योकि मेरे छोटे भाई घनश्याम खण्डेलवाल की बडी बेटी अंजली का हमने अर्न्तजातीय विवाह करवाया था। मैने इस बात की शिकायत दिनांक 01.03.2023 को थाना अधिकारी कोतवाली सिरोही को साधारण डाक द्वारा प्रेषित की थी। मेरी शिकायत पर करीब एक महीना 1 महीना व्यतित हो जावे के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं करने की वजह से मैंने दिनांक 04.04.2023 को पूलिस अधिक्षक सिरोही को कार्यवाही करने का आदेश थाना अधिकारी कोतवाली को देना का निवेदन किया। दिनांक 04.04.2023 को ही मैने एक रिमायन्डर पुनः थाना अधिकारी को डाक द्वारा प्रेषित किया जो अस्वीकार करने की वजह से मुझे डाक विभाग द्वारा वापस कर दिया गया।

उसके बाद मैं दिनांक 01.05.2023 को व्यक्तिगत रूप से पूलिस अधिक्षक महोदया से मीला उन्होने मूझे थाना अधिकारी सीताराम जी से मीलने को कहा। मै उसी दिन सीताराम जी से मीला तब उन्होनें बताया आपका परिवाद जांच व कार्यवाही हेतु पूलिस उपनिरीक्षक श्री जगदीशजी को दे दिया हैं आप उनसे मीलकर बात कर लो। मैं जगदीश जी से मीला उन्होने कहा आपका बयान ले लेता हूँ परन्तु आपको मेरा व थानेदार साहब का व मीलकर कूल 50 हजार रूपया रिश्वत देनी होगी मैने कहा उतना पैसा में नहीं दे सकता उन्होने कहा काम करवाना हैं तो 50 हजार तो देना होगा।

महोदय, मैं अपने कार्य हेतु उपरोक्त अधिकारीयों को किसी तरह की रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ में इन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ मेरा इनमे कोई लेन देन या आर्थिक व्यवहार नहीं हैं न बकाया हैं।

अतः कार्यवाही हेतु निवेदन है।

एसडी– ईश्वर प्रसाद
( Ishwar prasad Khandelwal)

सिरोही
03.05.2023
समय दोपहर 2 बजे

संलग्न– 1 परिवाद की प्रतिलिपिया
2 डाक विभाग द्वारा वापस लिफाफा

## कार्यवाही पुलिस

निवेदन हैं कि उपरोक्त लिखित रिपोर्ट दिनांक 03.05.2023 वक्त 2:00 पी.एम. पर प्रार्थी श्री ईश्वरप्रसाद पुत्र स्व. श्री गणपतलाल जाति खण्डेलवाल, उम्र 61 वर्ष, निवासी सोजती

गेट के अन्दर वाटा शू कम्पनी के सामने वाली गली, डॉक्टर मजिद के अस्पताल के सामने, कविराज वाडा जोधपुर, हाल निवास 203 गोपीनाथ स्मृति, उत्तम रोड़, भाईन्दर पुलिस स्टेशन के पास, राधा गोविन्द पार्क, ठाणे, भाईन्दर वेस्ट (महाराष्ट्र) 401101, मोबाईल नं. 9820963189 ने पूर्व मोबाईल वार्तानुसार शान्ति नगर सिरोही में स्थित मन् ए.एस.पी. के किराये के आवासीय मकान पर उपस्थित होकर मन् ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही के समक्ष मय अपने आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत की, जिनका अवलोकन कर पूछताछ की गई तो पुलिस दरियाफ्त पर बताया कि मेरे भाई की पुत्री का हमारे द्वारा अन्तर्जातीय विवाह करने पर हमारे खण्डेलवाज समाज के पंचो ने नाराज होकर खाप पंचायत आयोजित करके हमारे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर हमारा हुक्का–पानी बन्द कर दिया, जिससे परेशान होकर मैंने सामाजिक पंचो के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु पुलिस थाना कोतवाली में परिवाद पेश किया, किन्तु कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होने पर दिनांक 01.03.2023 को श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक मैडम सिरोही के समक्ष पेश होकर परिवाद दिया तो एस.पी. मैडम ने मेरे सामने ही परिवाद थानाधिकारी कोतवाली सिरोही को मार्क कर फोन से मेरे परिवाद पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया व मुझे कहा कि मैंने कोतवाल को बोल दिया हैं, वो आपकी कार्यवाही कर देगें, मैं आपका परिवाद अभी कोतवाली में ही भिजवा रही हूं, आप थाने जाकर सी.आई. साहब से मिलो, जिस पर मैं एस.पी. ऑफिस से निकलकर पुलिस थाना कोतवाली सिरोही गया व श्री सीताराम सी.आई. थानाधिकारी से मिला तो थानाधिकारी ने मुझे कहा कि आपकी परिवाद जांच हेतु मैंने श्री जगदीश कुमार सब–इंस्पेक्टर को दे दी हैं, आप जगदीश कुमार से मिल लो, जिस पर उसी दिन थाने में श्री जगदीश कुमार थानेदार से मिलकर मैंने मेरे परिवाद पर मुकदमा दर्ज करने का निवेदन किया तो इन्होनें मेरे से 50,000 रू. रिश्वत राशि की मांग की, और कहा कि एक बार कम से कम 10,000 रू. तो दो ताकि मैं आगे की कार्यवाही शुरू करूं, तब मैंने उन्हें एक–दो दिनों में राशि की व्यवस्था कर वापस मिलने का कहकर आ गया। किन्तु मैं थानेदार को रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने दूसरे दिन यानि कि कल दिनांक 02.05.2023 को थानेदार जी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु जयपुर एसीवी हैड–क्वार्टर में सम्पर्क किया तो मुझे वहां से बोला कि एडिशनल एसपी एसीबी सिरोही आपसे अपने आप सम्पर्क करेगें तब आप अपनी कार्यवाही के बारे में आगे बात करना, इसके वाद कल सांय को आपका फोन आया तो मैंने कार्यवाही के बारे में बात की तो आपने कहा कि मेरे पास जोधपुर एसीवी ग्रामीण का भी अतिरिक्त कार्यभार हैं तथा मैं कल दैनिक राजकार्य सम्पन्न कर कल दिनांक 03.05.2023 को सिरोही कार्यालय आ जाउंगा, आप मेरे से सिरोही आकर मिलना, इस पर मैं यहां आपके पास आया हूं। साथ ही परिवादी ने बताया कि मेरे व श्री जगदीश कुमार एस.आई. के बीच कोई रंजिश नहीं हैं व न ही कोई लेनदेन बकाया हैं। परिवादी ने रिपोर्ट खुद कलमी एंव इस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना व रिपोर्ट में उल्लेखित समस्त तथ्य सही होना जाहिर किया। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने से इस पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर मन् ए.एस.पी. के किराये के आवासीय मकान पर पूर्व से ही हाजिर श्री संजय कानि. नं. 587 ए.सी.वी. ओ.पी. जोधपुर ग्रामीण का परिवादी श्री ईश्वर प्रसाद खण्डेलवाल से परस्पर परिचय करवाकर दोनों के मोवाईल नंबरों का परस्पर आदान–प्रदान करवाया गया। परिवादी की रिपोर्ट पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑपरेट करने बावत् परिवादी व कानि. संजय को समझाईस की गई। तत्पश्चात श्री संजय कानि. नं. 587 को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर देकर परिवादी श्री ईश्वर प्रसाद खण्डेलवाल के साथ रिश्वती राशि मांग–सत्यापन हेतु मुनासिब हिदायत कर रवाना पुलिस थाना कोतवाली सिरोही की तरफ किया गया। जो करीब ढाई घण्टे परिवादी श्री ईश्वर प्रसाद खण्डेलवाल के साथ पुनः मन् ए.एस.पी. के शान्ति नगर सिरोही स्थित किराये के

आवासीय मकान पर उपस्थित आया व स्वीच ऑफ सुदा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि निर्देशानुसार परिवादी के साथ इस मकान से रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली सिरोही के पास पहुच मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी श्री ईश्वर प्रसाद खण्डेलवाल को देकर उसे आरोपित श्री जगदीश कुमार एस.आई. से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करने के लिए पुलिस थाना कोतवाली सिरोही में भेजा, एंव मै वही थाने के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए गोपनीय रूप से परिवादी की वापसी के इन्तजार में व्यस्त रहा, कि करीब दो-सवा दो घण्टे के बाद परिवादी थाने से निकलकर मेरे पास आया, तो मैने परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर स्वयं की अभिरक्षा में लिया, कि पूछने पर परिवादी ने बताया कि श्री जगदीशकुमार एस.आई. थाने में हाजिर मिले, जिनसे मैने मेरे परिवाद मे मुकदमा कर कार्यवाही करने का निवेदन किया तो उसने मेरे बयान लिये व मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्यवाही करने की ऐवज मे मेरे से 10,000 रू. रिश्वत की मांग की तो मैने मेरे पास मौजूद 8000 रू. उन्हें दिये जो उन्होने मेरे से प्राप्त कर सरसरी तौर पर गिनकर कहा कि 10,000 दो, तो मैने कहा कि आज इतने ही हैं, अब मेरे पास सिर्फ जेब खर्च ही बचा है, मै एक-दो दिन में पहुचा दूंगा, तो उन्होनें कुछ ओर कागजात लाने बाबत् कहकर मुझे फॉरिक कर दिया, और कहा कि एफ.आई.आर. की प्रति आपको वॉट्सएप कर दूंगा, तब मैं थाने से निकल कर आपके पास आ गया, मैंने थानेदार से हुई पूरी बात टेप में रिकॉर्डिंग कर ली है। साथ ही परिवादी ने यह भी बताया कि अन्त के 10 मिनट में ही पैसों की मांग व लेन-देन की बात हुई थी, इससे पहले तो मेरे मामले की बातचीत एंव मेरे बयान लेने का जिक है। हाजिर परिवादी द्वारा भी कानि. संजय के उपरोक्त कथनों की ताईद की गई। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर रिवर्स-फोरवर्ड करके सुना गया तो कानि. व परिवादी द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों की ताईद होते हुए आरोपित श्री जगदीश कुमार एस.आई. द्वारा परिवादी से 10,000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर वक्त सत्यापन 8000 रू. प्राप्त कर शेष 2000 रू. के मांग की पुष्टि होना पाया गया। साथ ही परिवादी ने बताया कि मेरे इसी सामाजिक मामले में मेरे भाई एंव अन्य रिश्तेदार ने मुझे बुलाया हैं, उन लोगों के साथ मैं गोपनीयता की दृष्टि से इस ए.सी.बी. कार्यवाही की बात को शेयर नहीं कर सकता हूं, इसलिए किसी अन्य बहाने से आगे की कार्यवाही कराने के लिए आपके पास वापस आऊंगा, किन्तु इस दौरान मुझे करीब हफ्ते भर का समय चाहिये, जिस पर परिवादी को प्रकरण में पूर्ण गोपनीयता रखने एंव अपने अति-आवश्यक कार्य निपटाकर जल्द से जल्द आरोपित एस.आई. को दी जाने वाली रिश्वती राशि एंव दस्तावेजात आदि के साथ पुनः उपस्थित होने एंव इस दरम्यिान अपना मोबाईल ऑन रखने एंव मोबाईल से सम्पर्क में रहने की हिदायत की गई, जिस पर परिवादी ने बताया कि मैं जल्द से जल्द वापस आने का प्रयास करूंगा, किन्तु पांच-सात दिन का समय भी लग सकता हैं, इसलिए मैंने पहले से ही हफ्ते भर का समय चाहा हैं। जिस पर परिवादी को एक बार पुनः मुनासिब हिदायत कर फॉरिक कर रूखसत दी गई। परिवादी की रिपोर्ट एंव डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् ए.एस.पी. की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। तत्पश्चात श्री संजय कानि. नं. 587 को प्रकरण में पूर्ण गोपनीयता रखने बाबत् बाद मुनासिब हिदायत फॉरिक कर जाय तैनाती ए.सी.बी. ओ.पी. जोधपुर ग्रामीण के लिए रवाना किया गया। दूसरे दिन दिनांक 04.05.2023 को प्रात: किराये के आवासीय मकान से एसीबी कार्यालय पंहुच कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय परिवादी की रिपोर्ट एंव संलग्न दस्तावेजात सुरक्षार्थ कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखकर तालाबन्द किये गये, तथा आईन्दा परिवादी के पुनः उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 10.05.2023 की रात्रि में परिवादी श्री ईश्वर प्रसाद खण्डेलवाल ने अपने मोबाईल नंबर 9820963189 से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर अवगत करवाया कि आज ही मैं मेरे काम से फॉरिक हुआ एंव आरोपित श्री जगदीश कुमार एस.आई. को दी जाने वाली रिश्वती राशि 2000 रू. की व्यवस्था की व अनुसंधान हेतु थानेदार जी को दिये जाने वाले कागजात तैयार एस.आई. साहब की मेरे स्तर पर मालुमात की तो कानून

व्यवस्था डियूटी हेतु उनका आज थाने से बाहर जाना जानकारी में आया व साथ ही यह भी जानकारी में आया कि थानेदार जी कल तक थाने में आ जायेगें, उसके बाद थाने में ही मिलेगें। जिस पर परिवादी को दूसरे दिन दिनांक 11.05.2023 को वक्त 03:00 पी.एम. तक शान्ति नगर सिरोही मे स्थित मन् ए.एस.पी. के किराये के आवासीय मकान पर उपस्थित होने व प्रकरण की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत की गई। साथ ही पूर्व में रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ भेजे गये श्री संजय कानि. नं. 587 ए.सी.बी. ओ.पी. जोधपुर ग्रामीण को भी दिनांक 11.05.2023 की प्रातः ब्यूरो कार्यालय सिरोही उपस्थित होने बाबत् जरिये मोबाईल निर्देशित किया गया।

दिनांक 11.05.2023 को प्रातः परिवादी श्री ईश्वर प्रसाद खण्डेलवाल ने अपने मोबाईल नंबर 9820963189 से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि मैंने मेरे स्तर पर पूर्ण मालुमात करवा ली हैं, आज 4.00 पी.एम. के बाद आरोपी श्री जगदीशकुमार एस.आई. थाने में उपस्थित मिलेगें, जिस पर परिवादी को मय रिश्वती राशि के वक्त 3:00 पी.एम. तक मन् ए.एस.पी. के किराये के आवास पर उपस्थित होने हेतु हिदायत की गई। इसी दौरान तलब सुदा श्री संजय कानि. नं. 587 ए.सी.बी. ओ.पी. जोधपुर ग्रामीण से रवाना सुदा चौकी हाजा पर उपस्थित आया, जिसे शान्ति नगर सिरोही स्थित मन् ए.एस.पी. के किराये के आवासीय मकान पर पंहुचने हेतु निर्देशित करने पर किराये के आवास पर पंहुचा। आरोपी श्री जगदीश कुमार उप निरीक्षक पुलिस के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया जाकर प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग सिरोही के नाम तेहरीर मुर्तिब कर श्री रमेशकुमार कानि. नं. 119 को मुनासिब हिदायत दी जाकर गवाहान तलबी हेतु उक्त कार्यालय की तरफ रवाना किया गया। चूंकि परिवादी को मन् एएसपी के किराये के आवास पर तलब किया गया था, लिहाजा गोपनीयता की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एंव परिवादी की रिपोर्ट मय संबधित अन्य दस्तावेजात एंव लेपटॉप, प्रिन्टर, कार्यालय मालखाना से ट्रेप बॉक्स आदि हमराह लेकर जरिये राजकीय वाहन बोलेरो एंव चालक श्री गणेशलाल नं. 561 के मन् ए.एस.पी. भी रवाना किराये के आवास की तरफ हुआ। साथ ही श्रीमति दीक्षा कानि. 436 को एक कार्यवाही के लिए आवश्यकतानुसार एक कागज की पुडिया में फिनोफ्थलीन पाउडर लेकर मय अन्य कार्यालय स्टाफ सर्व श्री चेलाराम हैड कानि. 109, सोहनराम कानि. 361, सोहनलाल कानि. 497, सुरेशदान कानि. 470 के साथ करीबन एक घण्टे बाद मन् ए.एस.पी. के किराये के आवास पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित कर चौकी हाजा से रवाना सुदा मन् ए.एस.पी. मय हमराहियान जरिये सरकारी वाहन शान्ति नगर सिरोही स्थित स्वयं के किराये के आवास पर पंहुचा, जहां पूर्व से हिदायत सुदा श्री संजय कानि. 587 उपस्थित मिला, कुछ समय बाद पूर्व हिदायतानुसार परिवादी श्री ईश्वर प्रसाद खण्डेलवाल शान्ति नगर सिरोही स्थित मन् ए.एस.पी. के किराये के आवासीय मकान पर उपस्थित आया व बताया कि आरोपी श्री जगदीशकुमार एस.आई. को दी जाने वाली रिश्वती राशि 2000 रू. एंव मेरे मुकदमें के अनुसंधान हेतु उनके द्वारा मंगवाये गये दस्तावेज साथ में लेकर आया हूं। इसी दौरान स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु भेजा गया श्री रमेशकुमार कानि. 119 मय दो स्वतन्त्र गवाहान तथा श्री चेलाराम हैड कानि. मय कार्यालय स्टाफ सोहनराम कानि. 361, सोहनलाल कानि. 497, सुरेशदान कानि. 470 व श्रीमति दीक्षा कानि. 436 के मन् ए.एस.पी. के किराये के आवासीय मकान पर उपस्थित आये। श्रीमति दीक्षा कानि. ने आवश्यकतानुसार एक कागज की पुडिया में फिनोफ्थलीन पाउडर साथ लेकर आना बताया। लिहाजा अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ करते हुए हाजिर दोनों गवाहान को मन्तव्य से अवगत करवाकर परिचय पूछा गया तो उन्होनें अपना–अपना परिचय क्रमशः श्री जितेन्द्र सुथार पुत्र श्री कांतिलाल सुथार, जाति सुथार, उम्र 32 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम चडवाल, पुलिस थाना कालन्द्री, जिला सिरोही, हाल सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग सिरोही व श्री पन्नालाल पुत्र श्री वेणीराम, जाति गमेती, उम्र 30 वर्ष, निवासी खेमपुरा शास्त्री नगर उदयपुर,

हाल कनिष्ठ मानचित्रकार, कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग सिरोही के रूप में दिया, गवाह श्री जितेन्द्र सुथार द्वारा स्वयं की वैगनार गाडी से आना बताया गया, जिस पर चूंकि सिरोही शहर की स्थानीय कार्यवाही होने से गोपनीयता के लिहाज से राजकीय वाहन के बजाय गवाह श्री जितेन्द्र सुथार की निजी वैगनार कार एंव कार्यालय स्टाफ की तीन मोटर साईकिलों से कार्यवाही हेतु पुलिस थाना कोतवाली की तरफ जाने का निर्णय लिया जाने पर गवाह श्री सुथार द्वारा अपने निजी वाहन के इस्तेमाल की मौखिक सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात हाजिर परिवादी श्री ईश्वर प्रसाद खण्डेलवाल से दोनों स्वतन्त्र गवाहान का परस्पर परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया गया एंव पढाया गया। रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मांग–सत्यापन से संबधित महत्वपूर्ण वार्ता के अंश (डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग वार्ता समय 02:05:00 से 02:10:00 तक की 5:00 मिनट का वार्तालाप) डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर फोरवर्ड/रिवर्स कर दोनों गवाहान को सुनाया गया। दोनों गवाहान ने भी परिवादी से विस्तृत पूछताछ कर तसल्ली कर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान की।

तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री ईश्वरप्रसाद से आरोपी श्री जगदीश कुमार उप निरीक्षक पुलिस को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री ईश्वरप्रसाद ने भारतीय मुद्रा के 500–500 रू. के 04 नोट, कुल 2,000 रू अपने पहनी हुई कोटी के दांहिने साईड की जेब से निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी | 8 | CF | 178729 |
| 2. | एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी | 2 | GQ | 945301 |
| 3. | एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी | 4 | PA | 953234 |
| 4. | एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी | 9 | NR | 444173 |

कार्यालय से शान्ति नगर सिरोही स्थित मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के किराये के आवासीय मकान पर वक्त रवानगी श्रीमति दीक्षा कानि. 436 के हमराह लाई गई फिनोफथलीन पाऊडर की पुडिया में से फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर परिवादी द्वारा पेश उक्त 2000 रू. के सभी नोटों को हॉल में रखी टी–टेबल पर बिछाए गए एक पुराने अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर श्रीमति दीक्षा कुंवर कानि. से लगवाया गया। परिवादी श्री ईश्वरप्रसाद की जामा तलाशी गवाह श्री जितेन्द्र सुथार सहायक प्रोग्रामर से लिवाई जाकर परिवादी के पास स्वयं के मोबाईल के अलावा कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडरयुक्त नोटों को परिवादी श्री ईश्वरप्रसाद के पहनी हुई कोटी के दांहिने साईड की जेब में श्रीमति दीक्षा कुंवर कानि. से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुऐ, आरोपी श्री जगदीश कुमार एस.आई. के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि अपनी जेब से निकाल कर उसे देवें, इस दौरान आरोपी से हाथ नहीं मिलावे तथा साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी श्री जगदीश कुमार एस.आई. द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं या छिपाता हैं ? इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर दो–तीन बार हाथ फेरकर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोवाईल पर कॉल/मिसकॉल कर गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्रीमति दीक्षा कुंवर कानि. के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी

हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल मे हाथ धुलाने पर घोल का रंग इस तरह से परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर श्रीमति दीक्षा कुवर कानि. से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के आवास पर ही पृथक से रखवाई गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु उपयोग में लिए गए अखबार व हमराह लाई गई फिनोफ्थलीन पाऊडर की पुडिया को बचे हुए फिनोफ्थलीन पाऊडर सहित जलाकर नष्ट करवाया गया। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यो, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो–दो बार धुलवाया जाकर वक्त कार्यवाही धोवन में प्रयुक्त किये जाने हेतु 04 नई साफ गिलासों ट्रेप बॉक्स में रखवाई गई। ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन–देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर हमराह लाये गये लेपटॉप–प्रिन्टर से प्रिण्ट आउट निकलवाकर फर्द पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। स्टाफ की कमी के मध्यनजर श्रीमति दीक्षा कानि. को प्रस्तावित ट्रेप की धोवन कार्यवाही के पश्चात ट्रेप दल में सम्मलित होने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही श्री चेलाराम हैड कानि. 109 को मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एंव अन्य आवश्यक सामग्री के राजकीय वाहन बोलेरो एंव चालक श्री गणेशलाल नं. 561 के साथ मन् ए. एस.पी. के किराये के आवासीय मकान पर स्टेन टू रहने एंव सूचना पर अविलम्ब पुलिस थाना कोतवाली सिरोही पंहुचने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त परिवादी एंव श्री संजय कानि. 587 को श्रीमति दीक्षा कानि. की स्कूटी पर, श्री सोहनराम कानि. को हरिश कनिष्ट सहायक की मोटर साईकिल पर एंव श्री रमेशकुमार कानि व श्री सुरेशकुमार कानि. को श्री रमेशकुमार कानि. की मोटर साईकिल से पुलिस थाना कोतवाली सिरोही के पीछे के गेट एंव पीछे के गेट के पास ही टूटी हुई चार दीवारी के पास तैनात रहने एंव गवाह श्री जितेन्द्र सुथार की निजी वैगनार कार से दोनों गवाहान के साथ मन् ए.एस.पी. एंव कानि. श्री सोहनलाल नं. 497 के साथ जाकर थाना कोतवाली के मैन दरवाजे के आस–पास मौजूद रहने का निर्णय लिया जाकर ट्रेप कार्यवाही बाबत् समस्त स्टाफ को मुनासिब हिदायत की गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री ईश्वर प्रसाद खण्डेलवाल के मोबाईल से आरोपी श्री जगदीश कुमार उप निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर कॉल करवाया गया तो आरोपित द्वारा कॉल अटेण्ड नहीं किया गया, एंव कुछ क्षण बाद आरोपी द्वारा अपने उपरोक्त मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर रिटर्न काल कर परिवादी को आधे घण्टे बाद थाना पंहुचने का कहा, जिस पर श्रीमति दीक्षा कानि. को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही की धोवन कार्यवाही के पश्चात ट्रेप दल में सम्मलित होने एंव श्री चेलाराम हैड कानि. 109 को मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एंव अन्य आवश्यक सामग्री के राजकीय वाहन बोलेरो एंव चालक श्री गणेशलाल नं. 561 के साथ मन् ए.एस.पी. के किराये के आवासीय मकान पर स्टेन टू रहने एंव सूचना पर अविलम्ब पुलिस थाना कोतवाली सिरोही पंहुचने हेतु निर्देशित किया जाकर मन् ए.एस.पी. के किराये के मकान पर पीछे छोडकर वक्त 04:25 पी.एम. पर मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र सुथार व श्री पन्नालाल व कानि. श्री सोहनलाल नं. 497 के जरिये गवाह श्री सुथार की निजी वैगनर कार, श्रीमति दीक्षा कानि. की स्कूटी पर श्री संजय कानि. 587 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री ईश्वर प्रसाद खण्डेलवाल के साथ, श्री रमेशकुमार कानि. 109 के साथ उसकी निजी मोटर साईकिल से श्री सुरेशदान कानि.

470 एवं श्री [illegible] की मोटर साईकिल पर श्री सोहनराम कानि 361 आदि मन् ए.एस.पी. के किराये के आवासीय मकान से ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना पुलिस थाना कोतवाली सिरोही की तरफ रवाना होकर सभी पुलिस थाना कोतवाली सिरोही के पहले आम रास्तो पर पहुचे, जहा से श्री रमेशकुमार कानि. 109 व श्री सुरेशदान कानि. 470 को सीधे ही पुलिस थाना कोतवाली सिरोही के पीछे के गेट पर पहुच उस तरफ से आरोपित एस.आई. के भागने की स्थिति मे उसे दस्तियाब करने बाबत मुनासिब हिदायत की गई। निर्देशानुसार वही से श्री संजय कानि. 587 द्वारा परिवादी श्री ईश्वरप्रसाद खण्डेलवाल को डिजीटल वायस रिकॉर्डर ऑन कर देकर रिश्वती राशि लेन–देन बाबत् आरोपी श्री जगदीश कुमार एस.आई. से सम्पर्क करने हेतु पुलिस थाना कोतवाली सिरोही की तरफ रवाना किया, एवं तत्पश्चात मन् ए.एस.पी. मय दोनों गवाहान, श्री संजय कानि 587, श्री सोहनराम कानि. 361 व श्री सोहनलाल कानि. 497 के हमराह निजी वाहन एवं मोटर साईकिल, स्कूटी के अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए गोपनीय रूप से पुलिस थाना कोतवाली सिरोही के आस–पास तैनात रहकर परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार मे व्यस्त हुआ।

कुछ समय बाद वक्त 04.50 पी.एम. पर दोनो मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री ईश्वरप्रसाद ने पुलिस थाना कोतवाली सिरोही के कार्यालय भवन मे स्थित आरोपित एस.आई. के कार्यालय कक्ष से पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल सिम नं. 9820963189 से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर रिश्वत राशि लेन–देन होने की सूचना दी, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमराहियान मय प्राईवेट वाहन एंव मोटर साईकिलो के पुलिस थाना मे प्रवेशित होकर प्राईवेट वाहन व मोटर साईकिलो से नीचे उतर कर थाने के कार्यालय भवन मे स्थित आरोपित एस.आई. के कार्यालय कक्ष में कुर्सी पर बैठे परिवादी श्री ईश्वरप्रसाद के पास पहुचे तो परिवादी के बाये साईड बगल मे टेबल–कुर्सी पर सफारी शूट पहने एक व्यक्ति बैठा मिला, जिसकी तरफ ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही श्री जगदीश जी थानेदार साहब है, इसी दौरान परिवादी श्री ईश्वर प्रसाद से पूर्व मे दिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अभिरक्षा मे रखा, कि आगे परिवादी ने बताया कि इन्होने अभी–अभी मेरे से 2000 रू. रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी टेबल के दाहिने साईड के ड्रावर मे रखे है, जो राशि अभी भी टेबल के ड्रावर में रखी हुई है। इसी दौरान निर्देशानुसार थाने की पीछे के गेट पर तैनात जाब्ता के सदस्यगण श्री रमेशकुमार कानि. 119 व श्री सुरेशदान कानि. नं. 470 तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के शान्ति नगर सिरोही में स्थित किराये के आवास पर मौजूद श्री चेलाराम हैड कानि. नं. 109 मय ट्रेप बॉक्स एवं लेपटॉप, प्रिन्टर के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नं. आर.जे. 14 यूई 0819 व चालक श्री गणेशलाल कानि नं. 561 के भी निर्देशानुसार पुलिस थाना कोतवाली में उपस्थित आये, जिन्हे शामिल ट्रेप दल किया गया, श्री चेलाराम हैड कानि. ने बताया कि निर्देशानुसार श्रीमति दीक्षा महिला कानि. नं. 436 को भी बाद हाथ धोवन कार्यवाही के शामिल ट्रेप दल होने बाबत् निर्देशित किया जा चुका हैं। तत्पश्चात परिवादी के बांयी साईड टेबल–कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना एंव हमराहियान का परिचय देकर मन्तव्य से अवगत कराते हुए उक्त का परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति ने हड़बड़ाते हुए अपना परिचय श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री शंकरलाल, उम्र 54 वर्ष, जाति नायक (राणा), निवासी– मकान नम्बर 58, आनन्द नगर, पाली, हाल उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली सिरोही, जिला सिरोही, मोवाईल नंबर 9667884227 के रूप में दिया। जिस पर उक्त श्री जगदीश कुमार एस.आई. को परिवादी श्री ईश्वर प्रसाद को पहचानने व इससे अभी कुछ देर पहले रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि हां, मैं इन्हें पहचानता हूं, इनके समाज में ही परस्पर मुकदमें किये हुए हैं, एक मुकदमें में ये परिवादी हैं तो दूसरे मुकदमें में इनका भाई मुलजिम हैं, जिनका अनुसंधान मेरे द्वारा ही किया जा रहा हैं। अभी कुछ देर पहले ये मेरे पास आये उस समय मै राजकार्य में व्यस्त था, इन्होने मेरे पास अनुसंधानाधीन अपने प्रकरणो की फोटोकॉपिया करवाने हेतु 2000 रू. अपनी इच्छा से मेरे टेबल की ड्रावर में

रखे थे, मैंने इनसे कोई रिश्वत नहीं मांगी एवं न ही ली है (आरोपित एस.आई.द्वारा वक्त घटना दिए गए प्रथम स्पष्टीकरण का मय ए.एस.पी. के निजी मोबाईल में हमराह जाब्ता के श्री रोशनलाल कानि. 497 से विडियोग्राफी करवाई गई) जिस पर हाजिर परिवादी श्री ईश्वरप्रसाद ने स्वेच्छा से आरोपी श्री जगदीश कुमार एस.आई. के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मैंने मेरी इच्छा से कोई राशि इन्हें नहीं दी हैं, मेरे भाई की पुत्री का हमारे द्वारा दूसरे समाज में विवाह करने पर हमारे खण्डेलवाज समाज के पंचो ने हमारे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर हमारा हुक्का-पानी बन्द कर दिया, जिससे परेशान होकर मैंने सामाजिक पंचो के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु इस थाने में परिवाद पेश किया, जिसकी जांच श्री जगदीश जी एस.आई. कर रहे थे, जिनसे मैंने मुकदमा दर्ज करने का निवेदन किया तो इन्होनें मेरे से दिनांक 01.5.2023 को 50,000 रू. रिश्वत की मांग की, जिस पर मैंने दूसरे दिन थानेदार जी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु जयपुर एसीवी हैड-क्वार्टर में सम्पर्क किया तो मुझे बोला कि एडिशनल एसपी एसीवी सिरोही आपसे सम्पर्क करेगें तब आप अपनी कार्यवाही करवाना, जिसके बाद मेरा आपसे सम्पर्क होने पर मैंने इनके विरूद्ध रिपोर्ट कर एसीवी के टेप रिकॉर्डर के साथ दिनांक 3.5.2023 को दिन में इनसे दुबारा मिला तो इन्होनें मेरे से 50 हजार रू. के बजाय 10,000 रू. रिश्वत की मांग कर उसी समय सत्यापन के दौरान 8000 रू. लिये व शेष 2000 रू. ओर देने का कहा, मैंने उक्त वार्ता एसीवी के टेप में रिकॉर्डिंग कर ली, मेरे से उक्त 8000 रू. लेने के बाद मेरी परिवाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिस पर इन्होनें आज कुछ दस्तावेज मंगवाये तो मैं इनके द्वारा मंगवाये गये दस्तावेजों के साथ अभी कुछ देर पहले यहां इनके पास आया तो ये अपनी इसी कुर्सी-टेबल पर कार्य करते हुए मिले, जिनसे मैंने मेरे मुकदमें के बारे में बात कर मंगवाये गये दस्तावेज देकर इनके द्वारा पूर्व में की गई मांग अनुसार बकाया 2000 रू. अपनी जेब से निकालकर इन्हें कहा कि दो बाकी थे ये रखो, जिस पर इन्होनें कहा कि ऐसा थोड़े ही होता हैं यार, तब मुझे लगा कि ये ओर अधिक पैसों की मांग करेगें, जिस पर मैंने इतने में ही मामला सुलटाने के मकसद से कहा कि ये तो रखो, जिस पर इन्होनें मेरे से राशि अपने हाथों से प्राप्त कर अपनी टेबल के दांहिने साईड की ड्रावर में रख दिये। तब मैंने यहां इनके पास ही बैठे-बैठे बहाने से आपको कॉल कर लेन-देन सूचना दी, जिस पर आप लोग यहां आ गये। जिस पर आरोपित एस.आई. को परिवादी के उपरोक्त तथ्यों के संबध में पुनः पूछा गया तो नजरें नीचे करते हुए कहा कि साहब गलती हो गई हैं, किन्तु मैंने यह राशि इनकी फाईलों की फोटोकॉपियां करवाने के लिए ही ली हैं, यह रिश्वत की राशि नहीं हैं, इसलिए मुझे माफ करो। जिस पर आरोपी को ढाढंस बंधाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ करते हुए स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र सुथार सहायक प्रोग्रामर से आरोपी श्री जगदीश कुमार एस. आई. के टेबल के दांये साईड की प्रथम (ऊपरी) ड्रावर (देराज) को चैक करने हेतु कहा जाने पर गवाहान द्वारा उक्त प्रथम (ऊपरी) ड्रावर (देराज) को खोलकर देखा गया तो ड्रावर (देराज) में पूर्व से रखे कागजातों पर भारतीय मुद्रा के 500-500 रू0 के नोट रखे पाये गये, जिस पर नोटों के चारों ओर वॉल पेन से घेरा बनाकर नोटों के सम्पर्क में आये दस्तावेजात के भाग/स्थान (बरामदगी स्थल) को निशांदेह किया गया एंव तत्पश्चात उक्त राशि को स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र सुथार सहायक प्रोग्रामर से ही उठवाकर गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के 500-500 रू. के 04 नोट, कुल राशि 2000 रू0 होने पाये गये। दूसरे स्वतन्त्र गवाह श्री पन्नालाल कनिष्ठ मानचित्रकार को पूर्व में मुर्तिव सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर इन नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो चारों नोटों के नंबर हुबहू फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये जाने से उक्त बरामदा रिश्वती राशि गवाह श्री जितेन्द्र सुथार सहायक प्रोग्रामर के पास सुरक्षित रखवाई गई, तथा बरामदगीस्थल को यथास्थिति में रहने दिया जाकर आरोपी श्री जगदीश कुमार उप निरीक्षक पुलिस के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए पुलिस थाने के कैम्पर में से एक साफ बोतल में साफ पीने का पानी मंगवाकर इसे दो नई साफ गिलासों में भरकर इसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन

घोल के एक गिलास मे श्री जगदीश कुमार एस.आई. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर घुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर आईदार गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने आईदार गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर. एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में आरोपी श्री जगदीश कुमार एस.आई. के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर घुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को भी पूर्ववत् कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच. 1 व एल.एच 2 अंकित किया गया। तत्पश्चात नोटों के सम्पर्क में आए ड्रावर (देराज) के निशांदेह किये गये दस्तावेजात जिस पर रिश्वती राशि के नोट रखे हुए पाये गये, जिनका अवलोकन किया गया तो कुल तीन पृष्ठ होकर प्रथम पृष्ठ शिकायत द्वारा श्रीमति चम्पादेवी दिनांक 12.4.2023 फोल्ड की हुई एंव शेष दो पृष्ठ बयान श्री नेमदास दिनांक 7.5.2023 मुतालिक परिवाद द्वारा श्री ईश्वरप्रसाद होने पाये गये, अर्थात उक्त तीनों पृष्ठ आरोपी श्री जगदीशकुमार एस.आई. के टेबल की देराज में रखे होकर इन पर रिश्वती राशि के नोट रखे हुए पाये गये। रिश्वती राशि के सम्पर्क आये उक्त दस्तावेजात के भाग (बरामदगी स्थल) पर पूर्व में पेन से घेरा बनाकर निशांदेह किया गया था, जिस पर मार्क A अंकित कर एक साथ स्टेपलर किया गया, तथा उक्त भाग मार्क A (रिश्वती राशि बरामदगीस्थल) का धोवन लेने हेतु पूर्ववत् पुलिस थाने के कैम्पर में से एक साफ बोतल में साफ पीने का पानी मंगवाकर इसे एक अन्य नई साफ गिलास में भरकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में दस्तावेजात के स्थान मार्क A पर एक सफेद कपड़े के टुकड़े (चिन्दी) को तीन-चार बार रगड़-रगड कर उक्त कपड़े के टुकड़े को गिलास में डुबोकर हिलाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशियो में आधा-आधा भरा जाकर सील मोहर कर चेपों पर मार्क A-1 एवं A-2 अंकित कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर इस पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा धोवन में प्रयुक्त चिन्दी पर मार्क A-3 अंकित कर टेबल के ड्रावर में मौजूद दस्तावेजात के भाग मार्क A व चिन्दी मार्क A-3 को कुछ देर तक धूप में सुखाकर दोनों पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर दोनों (मार्क A व मार्क A-3) को एक कपडे की थैली में रखकर थैली को सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर इस पर मार्क B अंकित किया गया। तत्पश्चात दस्तियाब सुदा आरोपी श्री जगदीश कुमार एस.आई. को परिवादी श्री ईश्वरप्रसाद खण्डेलवाल की परिवाद/प्रकरण से संबधित दस्तावेजात प्रस्तुत करने का कहा जाने पर अपनी इसी टेबल पर रखी पत्रावली परिवादी से संबधित होना बताया, जिस पर रूबरू गवाहान उक्त का अवलोकन करने पर प्रकरण संख्या 83 दिनांक 03.05.2023 पुलिस थाना कोतवाली सिरोही की पत्रावली जिसमें पृष्ठ सं. 01 से 26 तक होना पाया गया, जो प्रकरण में वांछित होने से इनकी प्रमाणित फोटो प्रति प्राप्त कर प्रथम व अन्तिम पृष्ठों पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो ली गई तथा प्रकरण की मूल पत्रावली थाने में हाजिर थानाधिकारी श्री सीताराम निरीक्षक पुलिस को अग्रिम अनुसंधान हेतु सुपुर्द की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान हालात उच्च अफसरान को निवेदन कर पाली स्थित आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाशी हेतु निवेदन किया गया तथा थाने में स्थित आरोपी का सरकारी आवास जो पूर्व से तालाबन्द था, जिसकी चाबी आरोपी से प्राप्त कर कब्जा ब्यूरो ली जाकर उक्त आवास की खाना तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से अन्दर की यथास्थिति कायम रखने की गर्ज से आवास को सील्ड कर निगरानी हेतु हाजिर थानाधिकारी को निर्देशित किया गया। इस दौरान थाना कोतवाली एंव पुलिस लाईन तथा आस-पास के कार्यालयों के पुलिस स्टाफ एंव अन्य लोगों की आमद-रफत

होना प्रारंभ होने के दृष्टिगत निर्बाध रूप से अग्रिम कार्यवाही सम्पादन बाबत् आरोपी के विरूद्ध की गई इस कार्यवाही की सूचना आरोपी के विभागीय अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक सिरोही को देने हेतु हाजिर थानाधिकारी श्री सीताराम निरीक्षक पुलिस को हिदायत की जाकर दस्तियाब सुदा आरोपी श्री जगदीश कुमार एस.आई. को हमराह लेकर मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र सुथार व श्री पन्नालाल तथा ब्यूरो जाब्ता के सदस्यगण मय धोवन के सैम्पल, चिन्दी, बरामदगीस्थल दस्तावेजात आदि के सील्डयुक्त पैकेट एंव रिश्वती राशि सहित ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर व अन्य आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो संख्या आरजे 14 यूई 0819 श्री गणेशलाल कानि. चालक व प्राईवेट वाहन तथा हमराह लाई गई मोटर साईकिलों के पुलिस थाना कोतवाली से रवाना होकर ए.सी.बी. कार्यालय सिरोही पंहुच अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जाकर स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र सुथार सहायक प्रोग्रामर जिन्हें पूर्व में बरामदा रिश्वती राशि सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई थी, से प्राप्त कर एक बार पुनः गिनती करवाई गई तो भारतीय मुद्रा 500–500 रू. के 04 नोट, कुल राशि 2000 रू. होने पाये गये। दूसरे गवाह श्री पन्नालाल कनिष्ट मानचित्रकार को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर उक्त नोटों के नम्बरों का पुनः मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नंबरो से करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये गये। जिसको एक सफेद कपड़े की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर कार्यवाही व नोटों संबधी विवरण लिखकर इस पर मार्क–M अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वती राशि वक्त लेन–देन वार्तालाप सुना गया तो रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाया गया, जिसकी फर्द ट्रांसकिप्ट पृथक से मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं धोवन कार्यवाही मुर्तिब कर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द शामिल मिशल की गई।

तत्पश्चात परिवादी से संबधित प्रकरण सं. 83/2023 दिनांक 03.05.2023 धारा 141, 142, 143, 503, 506 व 120बी भा.दं.सं. पुलिस थाना कोतवाली सिरोही की एफ.आई.आर. एंव थाना के इन्चर्ड रजिस्टर दिनांक 01.05.2023 की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर परिवादी श्री ईश्वरप्रसाद खण्डेलवाल व आरोपी श्री जगदीश कुमार एस.आई. के मध्य दिनांक 03.05.2023 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता व उक्त दोनों के दिनांक 11.05.2023 को रूबरू हुई रिश्वती राशि लेन–देन वार्ता, जो दोनों ही कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकॉर्ड थी, को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर फोरवर्ड/रिवर्स कर उक्त वार्ताओं के मुख्यांश को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री ईश्वरप्रसाद खण्डेलवाल के हाजिर आरोपित एस. आई. के साथी स्टाफ श्री दिलीपसिंह कानि. नं. 173 व श्री महावीरसिंह कानि. नं. 702, पुलिस थाना कोतवाली सिरोही को सुनाई जाने पर दोनों मुलाजमानों द्वारा वार्ताओं के मुख्यांश को ध्यानपूर्वक सुनकर इनमें रिकॉर्डिंग आरोपी श्री जगदीश कुमार एस.आई. के आवाज की पहचान की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द आवाज पहचान आरोपी श्री जगदीश कुमार उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली सिरोही मुर्तिब कर इस संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण हाजा में की गई उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री जगदीश कुमार उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली सिरोही के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रमाणित पाया जाने से उसे उसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर उसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 41 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। बाद आरोपी का मेडिकल करवाकर रात्रि सुरक्षार्थ पुलिस थाना कोतवाली सिरोही में जमा करवाया गया।

तत्पश्चात आरोपी श्री जगदीशकुमार एसआई व परिवादी श्री ईश्वर प्रसाद खण्डेलवाल के मध्य दिनांक 03.05.2023 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग–सत्यापन वार्ता व

उक्त दोनो के मध्य दिनांक 11.05.2023 को स्वरू हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप, जो दोनो ही कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर म रिकॉर्ड थी, को दिनांक 11.05.2023 की दरम्यिानी रात्रि से दिनांक 12.05.2023 की प्रातः तक स्वरू मोतबिरान एवं परिवादी श्री ईश्वर प्रसाद खण्डेलवाल के समक्ष बारी-बारी से सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट्स क्रमशः रिश्वती राशि मांग-सत्यापन वार्तालाप व रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप पृथक-पृथक मुर्तिब कर इन पर सबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर दोनो फर्द शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय के कम्पयुटर के माध्यम से दोनो वार्तालापो की दो-दो पेन ड्राईव तैयार कर इनमे से प्रत्येक वार्ता की एक-एक पैन ड्राईव को मूल मानते हुये इन्हे अलग-अलग दो कपडे की थेलियो मे डालकर सील मोहर कर मांग सत्यापन वार्तालाप की मूल पेन ड्राईव के सील्डयुक्त पैकेट पर मार्क-D व लेन-देन वार्ता के मूल पैन ड्राईव के सील्डयुक्त पैकेट पर मार्क L अंकित कर दोनो थेलियो पर सम्बधितगणो के हस्ताक्षर करवाये गये एव प्रत्येक वार्ता की एक-एक पैन ड्राईव को डब मानते हुये खुला रखा गया। उक्त रिकॉर्डिंग वार्तालापो मे आरोपी श्री जगदीश कुमार एसआई व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री ईश्वर प्रसाद खण्डेलवाल द्वारा की गई। तत्पश्चात कार्यवाही के दौरान जब्त रिश्वती राशि 2000 रू0 शील्ड सुदा पैकेट मार्क-M, धोवन की शीशियां मार्क आर.एच-1, आर.एच-2, एल.एच 1, एल.एच. 2, मार्क A-1 व A-2, रिश्वती राशि बरामदगीस्थल मार्क A के धोवन हेतु प्रयुक्त कपडे की चिन्दी मार्क A-3 व वजह सबूत बरामदगीस्थल दस्तावेज मार्क-A का सील्डयुक्ट पैकेट मार्क-B, रिश्वती राशि मांग-सत्यापन वार्तालाप का मूल पैन ड्राईव मार्क-D व रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप का मूल पैन ड्राईव मार्क-L तथा उक्त की दोनो वार्ताओ के अलग-अलग दो डब पैन ड्राईव्स आदि मालखाना आईटम्स प्रभारी मालखाना श्री चेलाराम हेड कानि. नं. 109 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। तत्पश्चात श्री सीताराम निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी कोतवाली सिरोही से प्रकरण संबधित पूछताछ कर बताये गये तथ्य रनिंग नोट में अंकित किये जाकर विश्लेषण किया गया तो थानाधिकारी की इस प्रकरण मे कोई संदिग्ध भूमिका नहीं पाई गई। तत्पश्चात पुलिस थाना कोतवाली सिरोही पंहुच दोनो गवाहान एंव परिवादी के समक्ष घटना/बरामदगीस्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा नजरी व हालात मौका मुर्तिब किया जाकर पुलिस थाना कोतवाली मे पूर्व से जमा अभियुक्त श्री जगदीशकुमार एस.आई. को प्राप्त कर रूबरू गवाहान आरोपित की मौजूदगी में पुलिस थाना कोतवाली सिरोही मे स्थित आरोपी के सरकारी आवास की खाना तलाशी मुर्तिब की गई। बाद मय अभियुक्त के चौकी पंहुच कार्यवाही के दौरान आरोपित श्री जगदीश कुमार एस.आई. द्वारा प्रथम दृष्टया दिए गए स्पष्टीकरण की मन् एएसपी के मोबाईल मे रूबरू गवाहान एंव परिवादी के करवाई विडियोग्राफी की कानि. श्रीमति दीक्षा कंवर न. 436 से कार्यालय कम्पयुटर के माध्यम से रूबरू गवाहान एंव परिवादी के एक सीडी मुर्तिब करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री जगदीश कुमार एस.आई. को आईन्दा माननीय विशिष्ठ न्यायालय, भ्र.नि.अ. पाली के समक्ष पेश कर आरोपी के संबध में माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले आदेशों की पालना होगी।

उपरोक्त हालात से आरोपी श्री जगदीश कुमार उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली सिरोही द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री ईश्वर प्रसाद खण्डेलवाल के परिवार का सामाजिक पंचो द्वारा सामाजिक बहिष्कार करने पर समाज पंचो के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत परिवाद में प्रकरण दर्ज कर सहयोग करने की ऐवज में आरोपित एस.आई. द्वारा परिवादी से दिनांक 03.05.2023 को वक्त सत्यापन 10,000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर उसी समय 8000 रू. प्राप्त किये गये एंव शेष रिश्वती राशि 2000 रू. दिनांक 11.05.2023 को पुलिस थाना कोतवाली सिरोही में अपने कार्यालय कक्ष में परिवादी से प्राप्त करते हुए को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाने से आरोपी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री [illegible] उम्र 54 वर्ष जाति नायक [illegible] पुलिस पुलिस थाना [illegible] भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 [illegible] क्रमांकन हेतु [illegible] अनुसंधान के आदेश फरमावें।

भवदीय

(ओमप्रकाश चौधरी)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
सिरोही

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री जगदीश कुमार, उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली, जिला सिरोही के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 118/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

12.5.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 889-92 दिनांक 12.5.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही।

12.5.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।